न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 27 / 2021 निर्णय दिनांक: 1८...
ON LINE NO. 82/2021

1. अशोक जाखड पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ
2. सुनिल कुमार पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ
3. मुखराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ

बनाम

1. कानाराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी अभयसिंह पुरा तहसील श्रीडूंगरगढ
2. राजना पुत्री कानाराम पत्नी कालूराम जाति जाट निवासी अभयसिंहपुरा हाल कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

उपस्थिति:—
1. श्री के.के.पुरोहित अभिभाषक वादी
2. श्री रामलाल नायक अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 2

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद अशोक जाखड ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ग्राम अभयसिंह पुरा के निवासी है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण की बहिन है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी खेत खसरा नम्बर 305 तादादी 0.03 हैक्टेयर गै.मु. कुंआ, खसरा नंबर 595/482 तादादी 4.6900 हैक्टेयर चाही कुल खसरा 2 कुल तादादी 4.72 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पिता नानूराम पुत्र नेनकराम से विरासतन प्राप्त हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि में वादीगण के पूर्वज नानूराम की होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 नानूराम के सहदायिक है तथा जन्म से ही उपरोक्त कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का हक हिस्सा है। वादगत कृषि भूमि में वादीगण का कुल 3/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का 2/5 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपने 2/5 हिस्सा की कृषि भूमि को वादीगण के पक्ष में छोड दी है वादगत कृषि भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है। वादीगण कृषि भूमि बाबत प्रतिवादी संख्या 3 से दिनांक 25.02.2021 को मिला तथा जमाबंदी में वादीगण का नाम से वादगत कृषि भूमि दर्ज किये जाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुये जमाबन्दी में नाम दर्ज करने से मना कर दिया । यही वाद हेतुक है । वादीगत कृषि भूमि का लेण्ड होल्डर प्रतिवादी संख्या 3 है जिसे आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 से किसी प्रकार का कोई अनुतो[illegible] पूर्ण कोर्ट फीस व समयावधि में भीतर प्रस्तुत किया गया है तथा वादगत [illegible] श्रीडूंगरगढ तहसील में स्थित होने से माननीय न्यायालय को [illegible] है। यह कि आवश्यक पक्षकार की हैसियत से प्रतिवा[illegible]कार बनाया गया कानूनी आपतियों को ध्यान में रखते हुये स्टेट के विरूद्ध [illegible] करने से पूर्व धारा 80 (2) सी.पी.सी की नोटिस की छूट न्यायालय श्रीमानजी से प्राप्त कर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:14 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री आज्ञप्त फरमाई जावें।

(क) कि इस आशयक की डिक्री आज्ञाप्त कर घोषणा कि जावे कि वादगत खेत खसरा नम्बर 305 तादादी 0.03 हैक्टेयर गै.मु. कुँआ, खसरा नम्बर 595/482 तादादी 4.9600 हैक्टेयर चाही कुल खसरा 2 कुल तादादी 4.72 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर की खातेदारी वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब. की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें।

(ख) कि अन्य अनुतोष हितकर वादी हो प्रदान करें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा इकबालिया राजीनामा पेश किया। वादी प्रतिवादी को जरिये राजीनामा वाद स्वीकार करनें में कोई आपति नही होने के कारण राजीनामें के अनुसार वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 305 तादादी 0.03 हैक्टेयर गै.मु. कुँआ, खसरा नम्बर 595/482 तादादी 4.6900 हैक्टेयर चाही कुल खसरा 2 कुल तादादी 4.72 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में वादीगण को ब.हि.ब. का खातेदार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है अतः तहसीलदार श्रीडूंगरगढ अधिक दिये गये हिस्से पर नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाम्प डयूटी वसूल कर तद्अनुसार वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब. राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूँगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:14 IST
Reason: SelfAttested